

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 37/2015/उदयपुर

मैसर्स बाबेल ब्रदर्स,
फतहनगर जिला, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 56/वेट/14-15/उदयपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.09.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19(ए) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.02.2014 के जरिये अभिनिर्धारित कर रुपये 19,500/- एवं विलम्ब शुल्क रुपये 1,25,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण दिनांक 26.02.2014 को पारित किया जाकर विवरण पत्र की देरी के लिए विलम्ब शुल्क रुपये 1,25,000/- अभिनिर्धारित किया गया एवं व्यवसायी द्वारा अपंजीकृत खरीद रुपये 3,00,000/- रुपये बढ़ाई जाकर करारोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि धारा 21 के तहत विवरण पत्र प्रस्तुत करने पर किसी प्रकार की फीस आरोपित नहीं की जा सकती है। वेट नियमावली अधिनियम को संचालित करने हेतु प्रक्रियात्मक कानून है जो अधिनियम का स्थान नहीं ले सकता और न ही उसे प्रभावित कर सकता है।

लगातार.....2

नियम 19ए में विवरणी को विलम्बता से पेश करने पर फीस कर दायी द्वारा जमा कराकर ही विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

5. सशक्त अधिकारी को विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण की शक्तियां भी प्रदत्त नहीं है, अतः अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क अविधिक एवं शक्तियों से परे होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपेक्षित विवरण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तो उसके लिये विलम्ब शुल्क का प्रावधान नियम 19ए के तहत किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है :-

19A Late fee - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (F.12(11)FD/Tax 2013-104 dt. 6.3.2013 w.e.f. 1.4.2013)

(i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act.

(ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees one thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return, and

(iii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

7. इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात की अवधि के लिए विवरण पत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे। अतः आरोपित विलम्ब शुल्क यथावत रखा जाता है। व्यवसाय की ठेका कार्य की प्रकृति को देखते हुए रूपये 3,00,000/- अपंजीकृत खरीद प्रयुक्त होना मानते हुए व्यवसायी द्वारा घोषित की गई लेबर, रॉयल्टी एवं अन्य खर्चों में से अमान्य करते हुए अधिकृत प्रतिनिधि की सहमति से कर निर्धारित किया गया है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण और विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य